

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय राज0 जयपुर

क्रमांक प.2(50ई)ओ0एण्डएम0/आ0कृ0/विविध/2019/4928-60 दिनांक 20.11.19

1. निदेशक राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा/समेती (आत्मा), जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कृषि (गुण नियन्त्रण/वनस्पति/पौध-संरक्षण/कीटनाशी अवशेष प्रयोगशाला/पौध-व्याधि), दुर्गापुरा, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) समस्त खण्ड।
5. उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद/ आत्मा, समस्त।
6. उप निदेशक, किसान आयोग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
7. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), समस्त।

विषय:- "Gandhi 150 logo " का उपयोग किये जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के आदेश क्रमांक प.10(1)प्रसु/अनु-1/2012 जयपुर दिनांक 13.11.2019 की छाया प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया आदेशानुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयन्ति वर्ष के अवसर पर राजकीय दस्तावेजों यथा सरकारी वेबसाइटों, ई-मेल, राजकीय स्टेशनरी आदि में "Gandhi 150 logo" का उपयोग किया जाना है। यह logo संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट: <http://gandhi.gov.in> से download/Copy कर उपयोग किया जा सकता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक प.2(50ई)ओ0एण्डएम0/आ0कृ0/विविध/2019/4928-60 दिनांक 20.11.19  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, कृषि, (समस्त), मुख्यालय।
3. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
4. योजना प्रभारी अधिकारी, (समस्त), मुख्यालय।
5. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
6. उप निदेशक, कृषि (बीज/सूचना/अभियांत्रिकी/गु0नि0), मुख्यालय।
7. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
9. केयर टेकर, मुख्यालय।

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)



1603/ADP  
14-11-19



1256  
14/11

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग  
(अनुभाग-1)

क्रमांक:- प.10(1) प्रसु/अनु-1/2012

जयपुर, दिनांक 13.11.2019

ADP

आदेश

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयन्ति वर्ष के अवसर पर राज्य सरकार के समस्त विभागों/बोर्डों/निगमों/आयोगों/कार्यालयों में समस्त राजकीय दस्तावेजों यथा सरकारी वेबसाइटों, ई-मेल, राजकीय स्टेशनरी, कलेण्डर, सरकारी विज्ञापनों एवं विज्ञापन सामग्री, डिजिटल हस्ताक्षर, अ.शा. पत्रों, राज्य परिवहन के राजकीय साधनों, बसों, राज्य की विभिन्न ट्रेनों, मेट्रो रेल आदि में "Gandhi 150 logo" का उपयोग किया जाना है। यह logo संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट <http://gandhi.gov.in> से download/Copy कर उपयोग किया जा सकता है।

अतः समस्त संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन समस्त विभागों/बोर्डों/निगमों/आयोगों/कार्यालयों में समस्त राजकीय दस्तावेजों में "Gandhi 150 logo" का उपयोग आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावे।

13/11/19  
JD Adm  
3 14/11/19

O & M  
14/11

494/O&M  
15.11.2019

- 54 -  
(डी.बी.गुप्ता)  
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. प्रमुख आवासीय आयुक्त/आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड़, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग।
10. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर-प्रचार प्रसार हेतु।
11. रक्षित पत्रावली

प्रमुख शासन सचिव